

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- पीयूष समारिया  
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 60/2021

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल साउथेंड स्क्वायर,  
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर -302020

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री हजारीलाल सैनी पुत्र श्री नानगा सैनी पता-पंडितपुरा की ढाणी, बांदीकुई जिला दौसा, दूसरा पता- पट्टा संख्या 21, बुक संख्या 01, गोंग्या की ढाणी, पंचमुखी बालाजी, पंडितपुरा ग्राम पंचायत पंडितपुरा पंचायत समिति बांदीकुई, तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान 303313 (ऋणी व बंधककर्ता)
2. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री सुरेश चंद सैनी, पता:-100, लोगीवाला बास, पंडितपुरा की ढाणी, बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान 303313 (सह ऋणी)
3. श्रीमती सुकली देवी पत्नि श्री हजारी लाल सैनी पता: पंडितपुरा की ढाणी, बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान 303313(सह ऋणी)
4. श्री सुरेश चंद सैनी पुत्र श्री नानगा राम सैनी पता: पंडितपुरा की ढाणी, बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान 303313(सह ऋणी व बंधककर्ता)
5. श्री बिरजूराम सैनी पुत्र श्री ग्यारसी लाल सैनी पता: 120, लोगीवाला बास, पंडितपुरा की ढाणी, बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान 303313 (जमानती)

.... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 14.12.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्री हजारी लाल, सुरेश चंद पुत्र श्री नानगा राम सैनी की संपत्ति जो कि पट्टा संख्या 21, बुक संख्या 01, गोंग्या की ढाणी, ग्राम पंचमुखी बालाजी, पंडितपुरा, ग्राम पंचायत पंडितपुरा पंचायत समिति बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 170 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 170 वर्गगज है जो कि थाना बांदीकुई के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा